पत्र, जवाब वादपत्र एवं प्रस्तुत प्रदर्श करवाये गये रिकॉर्ड दस्तावेज का अवलोकन
पत्र में प्रस्तुत वादीया फूला बाई पीडब्ल्यू–1 व राजेन्द्र गवाह पीडब्ल्यू–2 के बयानों
न किया। प्रदर्श–3 नकल नामान्तकरण में वादीगण का नाम मदन, बुद्विप्रकाश पुत्र
के नाम दर्ज किया गया है, जबकि प्रदर्श–4 नामान्तकरण सं. 168 में नारायण, जगन्नाथ,
दन का पिता है और उसके बाद बुद्विप्रकाश, राजेन्द्र पि. जगन्नाथ फूला बैवा जगन्नाथ के
से नामान्तकरण तस्दीक हुआ है। इस प्रकार प्रदर्श–1 जमाबन्दी ग्राम कालामाल में वादीगण
द्विप्रकाश, राजेन्द्र के पिता का नाम जगन्नाथ दर्ज है। जबकि खाता सं. 120 की भूमि खसरा सं.
213 में मदन, बुद्विप्रकाश पि. नारायण गलत दर्ज किया हुआ है। वास्तव में नारायण बुद्विप्रकाश का
पिता न होकर दादा है, जो सहवन से इन्तकाल दर्ज करने के वक्त इन्द्राज हुआ है। जिसको
इकबाली जवाब प्रतिवादी सं. 1 ने तथा साक्ष्य वादीया फूलाबाई व गवाह राजेन्द्र ने अपने बयानों में
स्वीकारा है। तहसीलदार नैंनवां ने भी अपने जवाब में इस तथ्य को स्वीकार किया है। अतः उपरोक्त
विवेचन से वादी का वाद डिक्री किया जाकर याचना स्वीकार की जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना
उचित समझते है।

अतः ग्राम कालामाल पटवार हल्का कालामाल तहसील नैंनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2073–
खाता सं. 120 के खसरा सं. 213 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन चाह पर बुद्विप्रकाश पि. नारायण
स्थान पर बुद्विप्रकाश, राजेन्द्र पुत्र जगन्नाथ व फूला पत्नि स्व. जगन्नाथ को हिस्सा 1/4 का
खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेगा। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जा
हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2020.02.29 12:06:27
IST
Reason: SelfAttested